273

प्रेषक,

डी0एस0 गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सं0– /IV(2)-श0वि0–2014–29(सा0)13

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–2

देहरादून : दिनांक 4 मार्च, 2014

विषय : नव गठित नगर पंचायत, कपकोट (बागेश्वर) को अवस्थापना विकास निधि से धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कपकोट के पत्रांक– मैमो/2013–14, दिनांक 3.03.2014 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सफाई उपकरणों एवं सफाई में प्रयुक्त होने वाले रसायनों एवं अन्य कार्यालय व्ययों हेतु ₹5.00 लाख की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है। तत्क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नगर पंचायत, कपकोट (बागेश्वर) को सफाई उपकरणों एवं सफाई में प्रयुक्त होने वाले रसायनों एवं अन्य कार्यालय व्ययों हेतु अवस्थापना विकास निधि से **₹5.00 लाख (रूपये पाँच लाख मात्र)** की धनराशि, व्यय हेतु आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

1. उक्त धनराशि **₹5.00 लाख (₹ पाँच लाख मात्र)** आपके द्वारा आहरित कर शासनादेश में उल्लिखित शर्तों के अनुसार नगर पंचायत, कपकोट (बागेश्वर) को बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।
2. स्वीकृत कार्य कराते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 एवं मितव्ययिता के सम्बन्ध में शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत किये गये शासनादेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये।
3. उक्त धनराशि का दिनांक 31–3–2014 तक पूर्ण उपयोग कर, कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
4. केन्द्रीय व राज्य वित्त आयोग से प्राप्त होने वाली धनराशि को प्राप्त करने का प्रयास वित्त आयोग निदेशालय से समन्वय स्थापित कर किया जायेगा।
5. नियमित व पर्याप्त आय प्राप्त करने हेतु नवगठित नगर पंचायतें त्वरित आधार पर कार्यवाही करेंगे।

2– उक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के आय–व्ययक के **अनुदान** सं0–13 के लेखाशीर्षक–2217–शहरी विकास– 03– छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास– आयोजनागत–191–स्थानीय निकायो, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डो को सहायता–03–नगरों का समेकित विकास–05–नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास"–'20 सहायक अनुदान/ अंशदान/राज सहायता' के नामे डाला जाएगा।

3– यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 183/XXVII(2)/2012, दिनांक 28–03–2012 में सुनिश्चित व्यवस्थानुसार अलॉटमेन्ट आई डी–S.14031300 93...के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डी0एस0 गर्ब्याल)
सचिव।

..2/–..

संo– 223 (1)/IV(2)-श0वि0–2014, तद्‌दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. महालेखाकार (आडिट), उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी/शहरी विकास मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन।
5. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
6. जिलाधिकारी, बागेश्वर।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
8. वित्त अनुभाग–2/निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून, को इस अनुरोध के साथ कि शहरी विकास के जी0ओ0 में इसे शामिल करें।
10. अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, कपकोट (जिला– बागेश्वर)।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
13. गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
उप सचिव।